


24.07.2024:—पत्रावली पेशी मे ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थी का मूल वादपत्र अदम हाजरी मे खारिज हो गया। मूल वाद पत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।



  
सहायक कलक्टर  
सुपुष्पडाधिकारी  
कलकत्ता